सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन *08,* सोमवार, *शाके 1946*-सितम्बर 30, *2024* *Asvina 08, Monday, Saka 1946- September 30, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2024

जी.एस.आर.44 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 7 का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 7 के उप-नियम (1) में,-

(i) खण्ड (क) में, अन्त में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "और" हटायी जायेगी;

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर अभिव्यक्ति ";और" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) उस दशा में विशेष भर्ती द्वारा चयन यदि किसी चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर-स्पेशलिटी या सब-स्पेशलिटी हेतु 1 अप्रैल 2020 को या उसके पश्चात् कोई नया विभाग प्रारंभ किया जाता है और नियम 24ख के उप-नियम (1) के टिप्पण के अनुसार की गयी कार्यवाही के पश्चात् भी आचार्य या सह-आचार्य का पद रिक्त रह जाता है तो इस संबंध में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा उस सुपर-स्पेशलिटी या सब-स्पेशलिटी में आचार्य या, यथास्थिति, सह-आचार्य के पद के लिए यथाअधिकथित शैक्षणिक और

तकनीकी अर्हता रखने वाले किसी विशेषज्ञ पर, आचार्य या, यथास्थिति, सह-आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए, निम्नलिखित रीति से विचार किया जा सकेगा अर्थात्:-

(i) विशेष भर्ती और चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन होगी;

(ii) पदों पर भर्ती योग्यता के आधार पर की जायेगी और आरक्षण, राज्य में प्रचलित आरक्षण के उपबंधों के अनुसार दिया जायेगा;

(iii) आचार्य या, यथास्थिति, सह-आचार्य के पद के लिए अनुभव और योग्यता के संबंध में अभ्यर्थियों की पात्रता के लिए आवेदनों की प्रारंभिक संवीक्षा की जायेगी और समस्त पात्र अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी;

(iv) पात्र अभ्यर्थियों को, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित मानदंडों के अनुसार नैदानिक और अनुसंधान अनुभव के लिए दिये गये अंकों के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा :

परंतु साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व, सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा;

(v) नैदानिक और अनुसंधान अनुभव के लिए अंक नब्बे प्रतिशत होंगे और साक्षात्कार के लिए अंक दस प्रतिशत होंगे। साक्षात्कार बोर्ड सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा;

(vi) साक्षात्कार बोर्ड निम्नलिखित से गठित होगा, अर्थात्:-

1.	आयोग का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य	अध्यक्ष
2.	प्रभारी-सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य
3.	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य	सदस्य
4.	आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ	सदस्य

(vii) साक्षात्कार बोर्ड, संबंधित विभाग में आचार्य या, यथास्थिति, सह-आचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार को, चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची उपलब्ध करायेगा;

(viii) चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता साक्षात्कार बोर्ड द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार होगी और अनुभव की गणना नयी स्पेशलिटी में आचार्य या, यथास्थिति, सह-आचार्य के रूप में पदग्रहण की तारीख के बाद आने वाले अप्रैल के प्रथम दिन से की जायेगी;

(ix) आचार्य या, यथास्थिति, सह-आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा, राजस्थान सेवा नियम, 1951 में विनिर्दिष्ट चिकित्सा अध्यापकों के लिए सेवानिवृति की आयु से पाँच वर्ष कम होगी।"

[सं.एफ.1(3) डीओपी/ए-II/78]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

दिनेश कुमार शर्मा

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 27, 2024

G.S.R.44 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 7.- In sub-rule (1) of rule 7 of the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962,-

(i) in clause (a), the existing expression "and", appearing at the end, shall be deleted;

(ii) in clause (b), for the existing punctuation mark ".", the expression "; and" shall be substituted; and

(iii) the existing clause (c) shall be substituted by the following, namely:-

"(c) selection by special recruitment in case if any new Department is started on or after 1st of April 2020 in any medical college for any super-specialty or sub-specialty and post of Professor or Associate Professor remains vacant even after exercise conducted as per note of sub-rule (1) of rule 24B, than any specialist possessing academic and technical qualification as laid down by the Rajasthan University of Health Sciences in this regard, for the post of Professor or Associate Professor, as the case may be, in that super specialty or sub-specialty, may be considered for the appointment on the post of Professor or Associate Professor, as the case may be, in the following manner, namely:-

(i) the process of inviting applications for special recruitment and selection shall be under overall supervision of the Rajasthan University of Health Sciences;

(ii) the recruitment to the posts shall be made on the basis of merit and reservation shall be provided as per the provisions of reservation prevailing in the State;

(iii) initial scrutiny of applications shall be made for eligibility of candidates in terms of experience and qualification for the post of the Professor or Associate Professor, as the case may be, and list of all eligible candidates shall be published;

(iv) eligible candidates shall be short listed on the basis of marks awarded for clinical and research experience as per parameters laid down by the Rajasthan

University of Health Sciences. Five candidates against one post shall be shortlisted for interview:

Provided that the approval of the Commission on the list of short listed candidates shall be obtained prior to placing it before the interview board;

(v) Marks for clinical and research experience shall be ninety percent and marks for interview shall be ten percent. Interview Board will take interview of shortlisted candidates;

(vi) The interview Board shall consist the following, namely:-

1.	Chairman of the Commission or any member nominated by the Chairman	Chairman
2.	Secretary-in-charge, Medical Education Department	Member
3.	Principal of any Government Medical College nominated by the State Government	Member
4.	Two Subject Experts nominated by the Commission.	Member

(vii) the Interview Board shall provide merit list of selected candidates to the Government for appointments on the posts of Professor or Associate Professor, as the case may be, in the Department concerned;

(viii) the inter-se seniority of the selected candidates shall be as per the merit list prepared by the Interview Board and the experience shall be counted from first day of April following the date of joining as Professor or Associate Professor, as the case may be, in the new specialty;

(ix) the upper age limit for appointment to the post of Professor or Associate Professor, as the case may be, shall be five years less than the age of retirement for the Medical teachers specified in Rajasthan Service Rules, 1951."

[No. F. 1 (3) DOP/A-II/78]

By order in the name of the Governor,

DINESH KUMAR SHARMA

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.